संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"पर्यावास" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक /टीसी/118/बैतूल/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:- /03/2023

प्रति,

1 **कलेक्टर,**
जिला बैतूल (म.प्र.)।

2 **सहायक संचालक,**
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, बैतूल (म.प्र.)।

3 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
जिला पंचायत,
जिला बैतूल (म.प्र.)।

4 **मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद् बैतूल
जिला बैतूल (म.प्र.)।

विषय:- नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क-(1)-ख के अधीन बैतूल विकास योजना, 2035 में आवासीय भूमि उपयोग में उपांतरण बाबत - ग्राम हनोत्या तहसील एवं जिला बैतूल कुल रकबा 2.0530 हेक्टेयर (आवेदक मेसर्स एल.बी. इन्फ्रा, द्वारा श्री सुभाष शर्मा, भोपाल)

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा **बैतूल** विकास योजना, 2035 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक 1150 /टीसी/118/बैतूल/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल,दिनांक:-31/03/2023

प्रतिलिपि:-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।

2 संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"पर्यावास" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:- 3 /03//2023

क्रमांक 1147 /टीसी/118/बैतूल/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट **बैतूल** विकास योजना 2035 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टे.)	आवेदित रकबा (हेक्टे.)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे.)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
ग्राम हनोत्या तहसील एवं जिला बैतूल	129/3	1.4160	1.4160	1.4160	कृषि, वर्तमान वाणिज्यिक, आमोद -प्रमोद (वृक्षारोपण), एवं मार्ग	आवासीय, आमोद-प्रमोद (वृक्षारोपण) एवं मार्ग
	129/7	0.6000	0.6000	0.6000		
	129/8	0.0370	0.0370	0.0370		
कुल रकबा		2.0530	2.0530	2.0530		

नोट:-

1. **प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग की चौड़ाई बैतूल विकास योजना, 2035 के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार रखना तथा मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**
2. **प्रश्नाधीन भूमि पर विद्यमान नाले को यथावत रखते हुए नाले के दोनो ओर मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 में निहित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 9.00 मीटर खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा।**
3. **प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग से भूमि पहुंच हेतु मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई नियोजन की दृष्टि से 12.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा।**

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय **बैतूल** तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, **बैतूल** को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द्र गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

D:\LKI\upantaran 23k1k\New 23 k 1 kha.docx